

	<p>(3) उप धारा (2) के परन्तुक के तहत इस कारण उत्पन्न शिवित की पूर्ति के प्रयोजन के लिए एक चुनाव किया जाएगा ।</p>	
	<p>13. व्यक्ति ग्राम परिषद के सदस्य के लिए अथवा इसका फर्स्ट कैप्टन बनाए जाने के लिए इस कारण अयोग्य ठहरता है यदि -</p> <p>(क) वह ग्राम साधारण निकाय के किसी कर, शुल्क अथवा अन्य बकाया धन राशि को ऐसे कर, शुल्क और अन्य धन राशि की अदायगी की नियत तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर इसकी अदायगी में असफल होता है;</p> <p>(ख) ग्राम साधारण निकाय अथवा ग्राम परिषद के तहत किसी पद का वेतन अथवा लाम का पद धारित हो;</p> <p>(ग) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम परिषद के द्वारा या उसके लिए किए गए किसी कार्य में उसकी भागीदारी या धनीय लाम हो अथवा ग्राम साधारण निकाय या ग्राम परिषद के साथ अथवा उसके अधीन या उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी सविदा या रोजगार में लगे हैं ।</p> <p>(घ) वह सरकारी कर्मचारी है अथवा नगरपालिका, पंचायती राज संस्थान या जनजातीय परिषद का सदस्य है;</p> <p>(ङ) दुराचरण के कारण सरकारी सेवा, नगरपालिका अथवा पंचायती राज संस्थान या जनजातीय परिषद की सेवा से उसे बरखारत कर दिया गया हो;</p> <p>(च) उसकी आयु इक्कीस वर्ष की नहीं हुई है;</p> <p>(छ) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 109 या धारा 110 के तहत सद्व्यवहार के लिए सुरक्षा प्रदान करने के आदेश दिया गया हो;</p> <p>(ज) किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध जिसमें हिंसात्मक अथवा नैतिक भ्रष्टाचार का अपराध शामिल है, के लिए उसे दोषी सिद्ध किया गया हो और उसे कारावास की सजा, जिसकी अवधि तीन माह से कम की न हो, और रिहा होने के पश्चात पाँच वर्ष की अवधि व्यतीत न हुई हो;</p> <p>(झ) ग्राम परिषद की अनुमति के बिना लगातार तीन बैठक में अनुपस्थित रहा हो;</p> <p>(ञ) वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो;</p> <p>(ट) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे दिवालिया घोषित किया गया हो;</p>	